



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अगस्त, 2025 ई0 (श्रावण 18, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-32

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	627-629	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	277-283	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	335-340	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

संस्कृति अनुभाग

विज्ञप्ति

25 जुलाई, 2025 ई०

संख्या-1/316664/2025-सुश्री बीना भट्ट, निदेशक, संस्कृति विभाग निदेशालय, देहरादून, जिनकी सेवा अभिलेखों में, जन्म तिथि 01-01-1966 अंकित है, वह दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

युगल किशोर पन्त,

सचिव।

गृह अनुभाग-4

अधिसूचना

28 जुलाई, 2025 ई०

संख्या-444/XX-4-2025-E-89578-श्री राज्यपाल, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1946 की धारा-6 के अनुसरण में जनपद देहरादून के थाना ऋषिकेश में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-87/2025, धारा 420, 120B, 406 IPC, 3 UPID Act, 3/4/21(3)/22 BUDS Act, थाना पटेलनगर में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-141/2025, धारा 420, 120B, 406 IPC and 3/4/21(3)/22 BUDS Act, थाना ऋषिकेश में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-236/2025, धारा 120B, 406, 420, 506 IPC and 21(3), 3 BUDS Act, 3UPID Act, जनपद टिहरी गढ़वाल के थाना घनसाली में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-17/2025, धारा 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act, थाना देवप्रयाग में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-07/2025, धारा 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act, थाना चम्बा में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-11/2025, धारा 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act, थाना नई टिहरी में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-15/2025, धारा 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act, जनपद उत्तरकाशी के थाना कोतवाली उत्तरकाशी में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-18/2025, धारा 318(4) BNS, 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act, जनपद पौड़ी गढ़वाल के थाना पौड़ी में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-57/2024, धारा 420, 120B IPC and 3 UPID Act, थाना कोटद्वार में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-49/2025, धारा 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3)/4/22 BUDS Act, थाना श्रीनगर में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-09/2025, धारा 318(4) BNS and 03 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act, थाना कोटद्वार में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-142/2024, धारा 420, 467, 468, 471, 120ch IPC and 3 UPID Act, 3/21 BUDS Act, जनपद रुद्रप्रयाग के थाना रुद्रप्रयाग में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-20/2025, धारा 3/111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/4/21(3)/22 BUDS Act, थाना ऊखीमठ में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-09/2025, धारा 3/111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/4/21(3)/22 BUDS Act, जनपद हरिद्वार के थाना रुड़की में पंजीकृत प्र०सू०रि० सं०-173/2025, धारा 318(4) BNS के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराधों से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वादों के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of "The Constitution of The India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No.444/XX(4)-2025-E-89578, Dehradun, dated: July 28, 2025.**

NOTIFICATION

July 28, 2025

No. 444/XX(4)-2025-E-89578--In pursuance of the provisions of Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extension of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No.87/2025, u/s 420, 120B, 406 IPC, 3 UPID Act, 3/4/21(3)/22 BUDS Act registered at Police Station Rishikesh, Distt. Dehradun, case Crime No. 141/2025, u/s 420, 120B, 406 IPC and 3/4/21(3)/22 BUDS Act registered at Police Station Patelnagar, Distt. Dehradun, case Crime no. 236/2025 u/s 120B, 406, 420, 506 IPC and 21(3), 3 BUDS Act, 3 UPID Act registered at Police Station Rishikesh, Distt. Dehradun, case Crime No. 17/2025, u/s 111, 318(4), 3 36(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act registered at Police Station Ghansali, Distt. Tehri Garhwal, case Crime No. 07/2025, u/s 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act registered at Police Station Devprayag, Distt. Tehri Garhwal, case Crime No. 11/2025, u/s 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act registered a Police Station Chamba,, Distt. Tehri Garhwal, case Crime No. 15/2025, u/s 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act registered at Police Station New Tehri, Distt. Tehri Garhwal, case Crime No. 18/2025, u/s 318(4) BNS, 3 UPID Act, 3/21(3) BUDS Act registered at Police Station Kotwali Uttarkashi, Distt. Uttarkashi, case Crime No. 57/2024, u/s 420, 120B IPC and 3 UPID Act registered at Police Station Pauri,, Distt. Pauri Garhwal, case Crime No. 49/2025, u/s 111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/21(3)/4/22 BUDS Act registered at Police Station Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal, case Crime No. 09/2025, u/s 318(4) BNS and 03 UPID Act 3/21(3) BUDS Act registered at Police Station Srinagar, Distt. Pauri Garhwal, case Crime No. 142/2024, u/s 420, 467, 468, 471, 120ch IPC and 3 UPID Act, 3/21 BUDS Act registered at Police Station Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal, case Crime No. 20/2025, u/s 3/111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/4/21(3)/22 BUDS Act registered at Police Station Rudraprayag, Distt. Rudraprayag, case Crime no. 09/2025, u/s 3/111, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS and 3 UPID Act, 3/4/21(3)/22 BUDS Act registered at Police Station Ukhimath, Distt. Rudraprayag, case Crime No. 173/2025, u/s 318(4) BNS registered at Police Station Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand the above mentioned offence and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

By Order and in the name of the Governor of Uttarakhand,

SHAILESH BAGAUJI,

Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अगस्त, 2025 ई0 (श्रावण 18, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 26, 2025

No. 26/XIV-a/29/Admin.A/2012--Ms. Vibha Yadav, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 29.01.2025 to 12.02.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

June 25, 2025

No. 119/UHC/Admin.A-2/2025--Mrs. Kahkasha Khan, Registrar, Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun, who was attached with the High Court of Uttarakhand, Nainital as Officer on Special Duty (OSD) vide notification dated 06.06.2025, is hereby relieved from her attachment with the High Court of Uttarakhand, Nainital with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION*June 26, 2025*

No. 122/XIV-a/34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned medical leave for 22 days w.e.f. 13.05.2025 to 03.06.2025.

NOTIFICATION*June 26, 2025*

No. 123/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 04.04.2025 to 08.04.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*July 03, 2025*

No. 124/UHC/Admin.A-II/2025--Shri Nasim Ahmad, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal, is hereby conferred with the powers of Drawing and Disbursing Officer (DDO) of the District Court, Tehri Garhwal, until the posting of the District & Sessions Judge, Tehri Garhwal, or until further orders, whichever is earlier.

NOTIFICATION*July 03, 2025*

No. 125/UHC/Admin.A-II/2025--Shri Vikram, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital, is hereby conferred with the powers of Drawing and Disbursing Officer (DDO) of the District Court, Nainital, until the posting of the District & Sessions Judge, Nainital, or until further orders, whichever is earlier.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, DEHRADUNCHARGE CERTIFICATEJune 30 , 2025July 02

No. 184/PST/Admn.IV/2025/D.Dun-- Certified that on sanction of Child Care Leave for 73 Days from 01.07.2025 to 12.09.2025 (suffixing 13.09.2025 & 14.09.2025 Second Saturday & Sunday), by the Hon'ble Chairman, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun, the charge of Registrar, Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been handed over, as denoted hereunder, in the afternoon of 30. 06.2025.

KAHKASHA KHAN,

Registrar,

*Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.*

Counter Signature,

JUSTICE U.C. DHYANI,

Chairman,

*Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.*UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION*June 30, 2025*

No. 1393/III-A-02/2025/SLSA--Shri Jayendra Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 13 days w.e.f. 09.06.2025 to 21.06.2025 alongwith permission to prefix 07.06.2025 and 08.06.2025 as Id-ul-Zuha and Sunday holiday respectively and to suffix 22.06.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION*July 23, 2025*

No. 1604/III-B-2009-10/SLSA/2025--In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 (and its subsequent Amendments) and pursuant to the Notification No. 218, dated 04th June, 2025 and Notification No. 185, dated 07th May, 2025 (**Copy enclosed**) of the State Government, the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital hereby appoints the following persons as Members in the Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal:-

S. No.	Permanent Lok Adalat	Name & Address of Members	
1.	District Almora (Also having jurisdiction over area of District Bageshwar and Pithoragarh)	1.	Shri Bhashkar Chandra Pandey, S/o Shri Puran Chandra Pandey, R/o-Vill. Bilori, Post Jhupulchaura, District Almora.
		2.	Ms. Abhilasha Tewari, D/o Shri R.D. Tewari, R/o- Cheenakhan, District Almora.
2.	District Pauri Garhwal (Also having jurisdiction over area of District Chamoli)	1.	Shri Mayank Sharma, S/o Shri Subhash C. Sharma, R/o-Naithani Bhawan, Dhara Road, District Pauri Garhwal.
		2.	Shri Arvind Purohit, S/o Late Shri Urvidatt Purohit, R/o-Koti Barkoti, P.O. Gholtir, District Rudraprayag.

NOTE:

1. This order will come into force with immediate effect.
2. All the abovementioned Members of Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal shall take over charge of their posting at the earliest.
3. Tenure of the abovementioned Members, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal shall be five years or till the age of 65 years, whichever is earlier, and shall be calculated from the date they assume their charge.
4. Uttarakhand SLISA, Nainital may remove any Member from the office of Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal before completion of this tenure in light of Rule 5 of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003.
5. In light of Rule 4 of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, the abovementioned Members, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal, before appointment, shall have to take an Undertaking, before Chairman, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal respectively, that he/she does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his/her functions as such Members.
6. The Members of the Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal shall receive such **Sitting Fee and Conveyance Allowance**, as fixed under the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and its subsequent Amendment Rules, 2025. (Copy enclosed).

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

27 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-264/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03ER0185 (e-Rickshaw(P)) मॉडल 2017 चैचिस MAUAM17CPAP001092 मोटर संख्या UPKAB850W48V05145 वाहन स्वामी श्री दुर्गा देवी दत्त पाण्डेय पुत्र श्री तारा दत्त पाण्डेय निवासी-बस्तिया बगडोरा खास टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 19/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। चेसिस का टुकड़ा खोने के सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.02.2025 को वाहन संख्या UK03ER0185 (e-Rickshaw(P)) मॉडल 2017 चैचिस MAUAM17CPAP001092 मोटर संख्या UPKAB850W48V05145 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-273/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA2519 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412049F0C02125 इंजन न0 51C84214456 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 27/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2025 को वाहन संख्या UK07PA2519 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412049F0C02125 इंजन न0 51C84214456 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-274/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA2534 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412049F0C02044 इंजन न0 51B84211973 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 27/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2025 को वाहन संख्या UK07PA2534 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412049F0C02044 इंजन न0 51B84211973 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:—275/पंजीयन निरस्त/2024-25—वाहन संख्या UK07PA2533 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412049F0C02046 इंजन न0 51B84211530 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 27/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2025 को वाहन संख्या UK07PA2533 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412049F0C02046 इंजन न0 51B84211530 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:—276/पंजीयन निरस्त/2024-25—वाहन संख्या UK07PA2981 (BUS) मॉडल 2016 चैचिस MAT412156G0G04624 इंजन न0 61G84322295 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 27/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2025 को वाहन संख्या UK07PA2981 (BUS) मॉडल 2016 चैचिस MAT412156G0G04624 इंजन न0 61G84322295 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:—277/पंजीयन निरस्त/2024-25—वाहन संख्या UK04PA1117 (BUS) मॉडल 2016 चैचिस MB1PCEFDXGAXF7879 इंजन न0 GXHZ425494 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 27/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2025 को वाहन संख्या UK04PA1117 (BUS) मॉडल 2016 चैचिस MB1PCEFDXGAXF7879 इंजन न0 GXHZ425494 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-278/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA2813 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412156G0F03776 इंजन न0 61E84311639 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 27/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2025 को वाहन संख्या UK07PA2813 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MAT412156G0F03776 इंजन न0 61E84311639 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-280/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA3124 (BUS) मॉडल 2016 चैचिस MAT412405G0H06257 इंजन न0 61H84330807 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 27/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.02.2025 को वाहन संख्या UK07PA3124 (BUS) मॉडल 2016 चैचिस MAT412405G0H06257 इंजन न0 61H84330807 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अगस्त, 2025 ई0 (श्रावण 18, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम अजय गांधी व कुछ दस्तावेजों में अजय कुमार जैन गांधी दर्ज है। मुझे उपरोक्त दोनों नामों से जाना जाता है, लेकिन अब भविष्य में मुझे अजय कुमार जैन गांधी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अजय कुमार जैन गांधी

पुत्र स्व० पवन कुमार जैन

निवासी 02, जैन कालोनी, पहाड़ी गली,

विकासनगर, देहरादून।

सूचना

My daughter's Aadhaar Card number 920236316049 has an incorrect name AYURSHI whereas her actual name is AYUSHI KUMARI as mentioned in her High School certificate with serial number 1530120. In the future, my daughter should be known, recognized, and referred to as AYUSHI KUMARI, daughter of BRAJPAL SINGH.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

BRAJPAL SINGH

residing at Shoorveer Singh Pawar, Mangai Plot,
Ward 7, Prateet Nagar, Raiwala, Dehradun,
Uttarakhand.

सूचना

मेरा आधार कार्ड संख्या 665936617179 कौशर अली के नाम से बना है जबकि ऑनलाइन आधार कार्ड में मेरा नाम रियासत लिखा आ रहा है। मेरा सही नाम कौशर अली पुत्र अख्तर निवासी कस्बा शाहपुर भगवानपुर, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार दर्ज किया जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कौशर अली पुत्र अख्तर

निवासी कस्बा शाहपुर भगवानपुर,
तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 253242348570 में त्रुटिवश उसका नाम अनवी (ANVI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्री का वास्तविक नाम मितिका (MITIKA) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पंजीकरण सं. 225 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को मितिका (MITIKA) पुत्री श्री किलेंद्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

किलेंद्र

निवासी-193, हरजौली जाट,
हरिद्वार, गुरुकुल नारसल, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25125322 में त्रुटिवश मेरा नाम विपुल कुमार (VIPUL KUMAR) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम विपुल कुमार तोमर (VIPUL KUMAR TOMAR) है। जो मेरे इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25628086 व आधार कार्ड नं0 4333-7423-8947 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे विपुल कुमार तोमर (VIPUL KUMAR TOMAR) पुत्र श्री राकेश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विपुल कुमार तोमर (VIPUL KUMAR TOMAR)
पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी-799/4, डोगरा लाईन
त्रियंगुलर पार्क रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 6459 9664 1605 में उसका नाम एकांश (EKANSH) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम एकांश (EKANSH) से बदलकर अभिराज (ABHIRAJ) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 B-2023:9-90002-003769 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अभिराज (ABHIRAJ) पुत्र श्री निखिल कौशिक के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

निखिल कौशिक पुत्र स्व0 श्री
सुन्दरलाल कौशिक निवासी मकान
नं0 839 न्यू आदर्श नगर रुड़की
तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 479267549012 में त्रुटिवश मेरा नाम रहिशा खातून (RAHISHA KHATOON) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम रहिशा (RAIESHA) है। जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 UK24ES0100400080 व मेरे पति के पी0पी0ओ0 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे रहिशा (RAIESHA) पत्नी स्व0 मौ0 यासीन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रहिशा (RAIESHA) पत्नी स्व0 मौ0 यासीन
निवासी-म0नं0 70, ग्राम मुण्डाखेड़ा खुर्द
लक्सर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम BALWANT SINGH BHANDARI दर्ज है। जबकि मेरे आधार कार्ड नं. 256521818425 व पेन कार्ड नं. AMOPB8585H में मेरा नाम BALWANT SINGH दर्ज है। BALWANT SINGH BHANDARI उर्फ BALWANT SINGH ये दोनों मेरे ही नाम है। भविष्य में मुझे BALWANT SINGH S/O FATEH SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

BALWANT SINGH S/O FATEH SINGH

निवासी ग्राम-कैलाशपुर पो0ओ0 मेहुवाला

माफी देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नम्बर 6077 9341 9354 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम आंचल कश्यप (ANCHALKASHYAP) दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रिया (RIYA) है। जो उसके हाई स्कूल अनुक्रमांक संख्या-23014894 व जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या-B202505900690004176 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को रिया (RIYA) पुत्री मेघराज (MEGHRAJ) के नाम से जाना पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मेघराज (MEGHRAJ)

निवासी भाटिया कालोनी सलेमपुर

राजपुतान रुड़की जिला हरिद्वार।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 689440968363 में उसका नाम आराध्य भूषण (AARADHY BHUSHAN) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम आराध्य भूषण (AARADHY BHUSHAN) से बदलकर रणवीर भूषण शाह (RANVEER BHUSHAN SHAH) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 20141011742 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को रणवीर भूषण शाह (RANVEER BHUSHAN SHAH) S/O SHASHI BHUSHAN SHAH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SHASHI BHUSHAN SHAH

निवासी-कमला कुंज, काली मंदिर

एन्क्लेव बट्टीपुर देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 463675250457 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम विहान (VIHAAN) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम लक्ष्य सिंह सैनी (LAKSHYA SINGH SAINI) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B-2018:5-90069-002989 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मेरे पुत्र को लक्ष्य सिंह सैनी (LAKSHYA SINGH SAINI) पुत्र ROBIN SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ROBIN SINGH

निवासी—गली नं. 6, कृष्णानगर, सलेमपुर
राजपुतान, हरिद्वार, रुड़की, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के कक्षा 8 विद्यालय मोंटफोर्ट स्कूल रुड़की में त्रुटिवश उसकी नाम की स्पेलिंग Labiba Shahzad Ahmad के स्थान पर Labiba Shahzad Ahmed गलत दर्ज हो गयी है। जबकि मेरी पुत्री की सही नाम की स्पेलिंग Labiba Shahzad Ahmad जो उसके आधार कार्ड नं. 845958059361 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को Labiba Shahzad Ahmad D/o Shahzad Ahmad Yamin Ahmad के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shahzad Ahmad Yamin Ahmad

निवासी—एच.एन. 1243/9 उमेर एन्क्लेव
भारत नगर माहिग्रान रुड़की जिला—हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 466562636982 में उसका नाम गौहर पुन्डिर (Gauhar Pundir) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम गौहर पुन्डिर (Gauhar Pundir) से बदलकर गौतमी पुन्डिर (Gautami Pundir) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र सं0 59 व सी.बी.एस.ई. हाईस्कूल अनुक्रमांक सं0 25131460 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को गौतमी पुन्डिर (Gautami Pundir) D/o Shekhar Pundir के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shekhar Pundir

निवासी—मकान नं0 174—ए, तहसील रुड़की,
ढण्डेरा, ढण्डेरा, हरद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 950053338438 में त्रुटिवश उसका नाम चौधरी वर्णित तोमर (CHOUDHARY VARNIT TOMAR) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वर्णित तोमर (VARNIT TOMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 UK23ES 1600035928 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को वर्णित तोमर (VARNIT TOMAR) S/O ARVIND KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरविन्द कुमार पुत्र श्री इसम सिंह
निवासी ग्राम हीराहेडी
तहसील रुडकी जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 431444723329 में त्रुटिवश मेरा नाम (SOHAN SINGH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम (SONU PANWAR) है। भविष्य में मुझे (SONU PANWAR) पुत्र श्री धन सिंह पंवार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(SONU PANWAR) पुत्र श्री धन सिंह पंवार
निवासी 14, बीघा, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे घर की संपत्ति में मेरा घरेलू नाम नियाज अहमद पुत्र स्व. जमील अहमद है। जबकि मेरा वास्तविक नाम शकील अहमद है। जो मेरे आधार कार्ड नं. 913149951840 व पेनकार्ड CKRPA 4207N पहचान पत्र सं. TPU1326198 में भी दर्ज है। ये दोनों ही नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे दोनों नामों शकील अहमद उर्फ नियाज अहमद पुत्र स्व. जमील अहमद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शकील अहमद उर्फ नियाज अहमद पुत्र स्व. जमील अहमद
निवासी—ज्वालापुर मोहल्ला नीलखुदाना हरिद्वार।